



राज्य निर्वाचन आयोग  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

संचिका संख्या- प0नि0 30-63/2026.....3226  
प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,  
पंचायती राज विभाग,  
बिहार, पटना।

दिनांक- 5.8.26

विषय:- वर्ष 2022-2023 में कराये गए जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े उपलब्ध कराने के संबंध में।  
प्रसंग:- आयोग के पत्रांक-3143, दिनांक-30.07.2026 एवं पत्रांक-3172, दिनांक-03.08.2026  
महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि पंचायती राज विभाग के अधिसूचना संख्या-10745, दिनांक-20.07.2026 द्वारा वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों का परिसीमन नये सिरे से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रासंगिक अधिसूचना के कंडिका-7 के प्रावधानानुसार एक से अधिक ग्रामों को समाविष्ट कर घोषित ग्राम पंचायत क्षेत्र का मुख्यालय उक्त क्षेत्र में समाविष्ट अधिसंख्यक जनसंख्या के ग्राम में होगा परन्तु यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की संख्या उक्त क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो तो उसका मुख्यालय वह ग्राम होगा जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की संख्या (का अनुपात) सबसे अधिक हो।

ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2011 की जनगणना में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है जिसके कारण सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में पंचायतों के परिसीमन किये जाने के उपरांत तत्संबंधी पंचायतों के मुख्यालय निर्धारण/नामाकरण में समस्या होगी।

अतः अनुरोध है कि जनहित, राज्यहित एवं संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु पंचायतों के परिसीमन के क्रम में राजस्व ग्रामवार वार्डों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर पंचायतों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की आवश्यकता है।

निदेशानुसार तत्संबंधी जनसंख्या के आंकड़े विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को अपने स्तर से संसूचित करने की कृपा की जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

दिनांक- 5.8.26

सं.सं.-30-63/2026.....3226

प्रतिलिपि- सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि तत्संबंधी डाटा उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

वर्ष 2022-2023 में कराये गए जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े हेतु विहित प्रयत्न

[illegible]